मुख्यमंत्री भजनलाल ने भागवत कथा सुनी

जयपुर, 3 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को वैशाली नगर स्थित 'गोविन्द धाम' जानकी पैराडाइज में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में श्रीमद्

- **उन्होंने कहा, नवरात्र में श्रीभद् भागवत कथा सुनना सौभाग्य की बात है।**

भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्रीकृष्ण के साक्षात स्वरुप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। शर्मा ने युवा पीढ़ी का आव्हान करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात् करे। इस अवसर पर वे भव्य आरती में सम्मिलित हुए। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक, विधायक शत्रुघ्न, गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, अशोक परनामी सहित, संत, साध्वी व बड़ी संख्या में लोगों ने कथा का श्रवण किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैशाली नगर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और कथावाचक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद लिया।

'चीन के साथ सामान्य स्थिति से पहले हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए'

कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि चीन भारत के चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घुस आया है लेकिन हमारे राजदूत चीन के नेताओं के साथ केक काटते दिख रहे हैं। गांधी ने लोकसभा में शून्य काल में इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया कि चीन द्वारा कब्जाई जमीन को वापस लेने के लिये वह क्या कर रही है?

गांधी ने कहा, मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किये बैठा है और हमारे विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ कुछ समय पहले केक काटते देखे गये। हमारे जवान शहीद हुये थे, उनकी

- **राहुल ने कहा, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है।**

शहादत का जश्न मनाया जा रहा है, केक काटकर। हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति से पहले हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिये।

उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि वह विदेश नीति के मामले में न तो बायें झुकेंगी और न ही दायें झुकेंगी, वह भारतीय हैं, वह सीधी खड़ी होंगी। उन्होंने कहा, हम सब इतिहास जानते हैं, जब भाजपा और आरएसएस से ऐसा ही सवाल पूछा जायेगा, तो वे सामने वाले के आगे सिर झुका लेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, हमारे सहयोगी (अमेरिका) ने अचानक हमारे ऊपर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। यह हमारे ऑटो और कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डालेगा।

दिल्ली -एनसीआर में पटाखों पर साल भर बैन

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर सालभर का प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, और

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि हर घर में एयर प्यूरीफायर नहीं होता, इसलिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा।**

केवल 3-4 महीनों के लिए प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार की गारंटी देता है।

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि दिल्ली में सभी लोगों के पास एयर प्यूरीफायर नहीं होता, और प्रदूषण से आम जनता की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दीवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: प.बंगाल में 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द रहेगी

- **हाईकोर्ट के, पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।**
- **अदालत ने कहा, पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी तथा इसे सुधारा नहीं जा सकता।**

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर गुरुवार को मुहर लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 'दूषित' और 'सुधार से परे दागदार' घोषित किया।

अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधारा नहीं जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कुछ निर्देशों में संशोधन किया।

शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो उम्मीदवार पहले कहीं और कार्यरत थे, उन्हें अपने पिछले पदों पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन महीने की अवधि के भीतर चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

शीर्ष अदालत का यह फैसला राज्य की ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

खंडवा में कुएं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गई। सभी 8 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शुक्रवार को शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ही एसडीआरएफ का 15 सदस्यीय दल भी मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम रस्सी और जाली लेकर कुएं में उतरी और शवों को बाहर निकाला।

वनरक्षक भर्ती, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपी होना पाया गया। वह बाड़मेर के गुढामलानी के रामजी का गोल कस्बा में ग्रेड थर्ड टीचर है।

जांच में नाम सामने आने पर आरोपी टीचर जबराराम फरार हो गया। उसके तमाम ठिकानों पर दबिश देने पर भी आरोपी पकड़ में नही आया।

इसलिए एसओजी ने फरार आरोपी जबराराम जाट पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है।

एक ही झटके में ट्रम्प अमेरिका को 17वीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहेगी। क्योंकि अमेरिका को निर्यात भारत की जीडीपी का मात्र 2 प्रतिशत है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव सभी देशों पर अलग-अलग होगा। भारत पर 26 प्रतिशत तो चीन पर 54 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार अमेरिकन टैरिफ भारतीय निर्यातों पर प्रभाव चीन की तुलना में आधे से भी कम होगा। कोशिश करके भारतीय निर्यातक अभी भी लागतों को नियंत्रित करने और नवीतनम टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन चीन के लिए यह एक बहुत कठिन कार्य होगा।

दूसरे, चीन अमेरिका को निर्यात पर भारत की तुलना में कहीं अधिक निर्भर है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि ज्ञात है, घरेलू मांग द्वारा संचालित है, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, चीन के पास अपनी घरेलू आवश्यकताओं से दोगुना स्टील उत्पादन क्षमता है। इसलिए, चीनी स्टील उद्योग के अस्तित्व के लिए उसे निर्यात करना पड़ता है।

कुछ देश और भी अधिक कमजोर हैं, क्योंकि वे कुछ चयनित वस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ौसी बाँग्लादेश को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, जो अब तक न्यूनतम या पूरी तरह से छूट प्राप्त थी। बाँग्लादेश की कपड़ों के निर्यात पर निर्भरता को देखते हुए, और विशेष रूप से अमेरिका के साथ, देश की अर्थव्यवस्था 34 प्रतिशत टैरिफ के साथ एक कठिन स्थिति का सामना करेगी।

कुछ विशेषज्ञ अब मानते हैं कि कम से कम तीन क्षेत्रों में भारत के अमेरिका को निर्यात को लाभ हो सकता है। प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का मानना है कि कृषि क्षेत्र में टैरिफ संरचना को देखते हुए भारतीय उत्पादकों को कुछ स्पष्ट लाभ मिलता है और अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

दूसरे, फार्मास्युटिकल निर्यातक उत्साहित महसूस कर रहे हैं। टैरिफ ने दवा उद्योग को प्रभावित नहीं किया है। अमेरिका में भारतीय दवाओं की अच्छी मांग है, और उन्हें वर्तमान टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। सस्ते होने के कारण भारतीय दवा उद्योग यहाँ काफी आगे है।

तीसरे, वस्त्र और दूरसंचार निर्यात के कुछ खंड प्रतिस्पर्धात्मक लाभा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, चीन और वियतनाम पर अब कहीं अधिक टैरिफ लागू किए गए हैं। इसके अलावा, भारत अपने निर्माण क्षेत्र को भी पीएलआई योजनाओं के साथ बढ़ा सकता है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में कम लागत वाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका सभी वस्तुओं का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा।

जब दुनिया ट्रम्प के टैरिफ के अनुसार समायोजित हो रही है, तो अनपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। देशों को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। देश नए अवसर देखेंगे। वैश्विक व्यापार ने निस्संदेह अद्वितीय विकास और प्रगति को जन्म दिया है। इनमें से कई प्रोत्साहक कारक लुप्त हो जाएंगे। इस अनिश्चितता के नए युग में, भारत निस्संदेह सबसे स्थिर और आत्मनिर्भर देशों में से एक होगा। नोमुरा के हालिया निष्कर्षों के अनुसार, भारत वर्तमान व्यापार संघर्ष और आर्थिक समायोजन में एशिया की सबसे लचीली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

बम की धमकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जन्नत देखना है। कलेक्ट्रेट हमारे साथ नष्ट हो जाएगा। आज का ऑपरेशन पूरा होने के बाद हम शहीद हो जाएंगे। बिलाल-रियाज जो यह पढ़ रहे हैं, आज का दिन है। आप जानते हैं कि क्या करना है। यह हमारा अंतिम कम्युनिकेशन होगा। डीएमके अरिवालयम में नखीरन गोपाल से संपर्क करें। हमने उन्हें एक गुलाबी लिफाफा दिया है, जिसमें डीएमके परिवार की भागीदारी सहित हमारी कहानी का दस्तावेजीकरण करने वाले वीडियो हैं। "अल्लाहु अकबर!" पुलिस टीम ई-मेल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

'अमेरिका छींकता है, तो विश्व को ज़ुकाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.), इन्फोसिस और विप्रो जैसे उद्योग दिग्गज शामिल हैं, को बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाले इस क्षेत्र की, यू.एस. मार्केट में प्रतिस्पर्धा कमज़ोर पड़ सकती है, जिसका, अनुबंध वार्ताओं और बाज़ार की हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा।

फार्मास्युटिकल उद्योग, जिसका अमेरिका को निर्यात लगभग 24 बिलियन डॉलर मूल्य का है, भी संभावित झटकों का सामना कर सकता है। उच्च शुल्क के कारण भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे वे अमेरिकी खरीदारों के लिए कम आकर्षक हो सकते हैं और लाभ के मार्जिन पर असर डाल सकते हैं।

इसी तरह, वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो भारत के निर्यात पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अमेरिकी बाजार में अपनी बढ़त खो सकता है। ऊँचा टैरिफ, मांग और राजस्व को कम कर सकता है, जिससे भारतीय निर्माता अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा, मसाले, चावल, और चाय जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात उच्च कीमतों के कारण कम प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं, जिससे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

भारत पर लगाए गए तथाकथित "छूट वाले" टैरिफ का श्रेय भारतीय सरकार के सक्रिय प्रयासों को दिया जा सकता है, जिसके तहत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ के संभावित परिणामों को संबोधित किया है। भारत ने संभावित व्यापार तनावों को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक संबंधों, बाजार पहुंच बढ़ाने, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों ने "मिशन 500" पहल के तहत, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत "गूगल कर" को रद्द कर दिया, जिससे सहज वार्ता को सुविधाजनक बनाने की इच्छा के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों, जैसे बादाम, क्रैनबरी और बर्बन व्हिस्की पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सके। प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय निर्यातक संभवत: बाजारों में विविधता लाने, उत्पाद मूल्य बढ़ाने, और लागत दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। नए व्यापार समझौतों और साझेदारियों की संभावना ढूंढने से भी निर्यात मात्रा बनाए रखने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम करने के वैकल्पिक मार्ग मिल सकते हैं।

हालांकि अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत प्रत्युत्तर शुल्क (रैसिप्रोकल टैरिफ) की घोषणा भारत के निर्यात क्षेत्रों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है, लेकिन भारतीय सरकार की सक्रिय सहभागिता और रणनीतिक पहल व्यापारिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विकसित होते व्यापार परिदृश्य में निरंतर संवाद और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को बनाए रखा जाए तथा और अधिक मजबूत किया जा सके।

जयपुर जिंदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।

पाकिस्तान से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई। श्रीकरणपुर थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच गजसिंहपुर थाना प्रभारी शीर कौर को सौंपी गई है। बीएसएफ ने जांच के बाद ड्रोन और हेरोइन का पैकेट श्रीकरणपुर पुलिस को सौंप दिया है।

विपक्ष ने राज्यसभा में बड़ी जोशीली बहस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संविधान पर किये गये इस हमले का निशाना आज तो मुस्लिम हैं, लेकिन भविष्य में यह अन्य समुदायों को निशाना बनाने की पूर्व घटना तथा नजीर का काम करेगा। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का घोर विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर ही हमला है तथा अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, का उल्लंघन करता है।

दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने विपक्ष के सकारात्मक सुझावों को दरकिनार कर दिया और जेडी (यू) तथा टीडीपी जैसे मित्र दलों पर दबाव डालने की सीमा तक चली गई, लेकिन इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया।

यह विधेयक, जो राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी तथा उसके मित्र दलों के संख्या बल के चलते पारित हो जायेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडी (यू), तथा आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के लिये, मुस्लिमों में अपना समर्थन बनाये रखने के मामले में, एक कड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अनुभवी राजनैतिक पर्यवेक्षक, जिनसे इस पत्रकार की बात हुई, एकमत होकर कह रहे हैं कि इन दोनों दलों ने राजनैतिक आत्मघात किया है।

विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को नज़रअंदाज करते हुये, रिजिजू ने कहा, "यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है।..... हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों पर निगरानी रखना है, उनका प्रबंधन करना नहीं।"

विपक्षी सदस्यों से समर्थन माँगते हुये, रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य पूर्व सरकारों के अपूर्ण कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कांग्रेस तथा उसके मित्र दलों से वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील करते हुये कहा कि पूर्ववर्ती कमेटियों द्वारा की गई सिफारिशों को इस नये संशोधित विधेयक में शामिल कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नये कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी पंथों के साथ ही पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि "हम इसे और अधिक समावेशी बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि "प्रस्तावित सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कुल 22 सदस्यों में, चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कम से कम दो महिला सदस्य होंगी। स्टेट वक्फ बोर्डों के कुल 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।"

सच्चर कमेटी, जिसने सिफारिश की थी कि सैन्ट्रल वक्फ काउंसिल तथा स्टेट वक्फ बोर्ड को विस्तार देकर, इन्हें समावेशी बनाया जाये, का हवाला देते हुये, उन्होंने सदन को सूचित किया कि कमेटी के आकलन के अनुसार, 2006 में 4.9 लाख सम्पत्तियों से 12000 रूपए की आय थी।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूखंड को केवल इस मौखिक आधार पर वक्फ सम्पत्ति होने का दावा करता है कि 500 साल पहले उसके पूर्वजों ने इस वक्फ कर दिया, तो वह इस पर दावा करनेके लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे कुछ साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा, "यूज़र द्वारा वक्फ की सम्पत्ति का दावा मनमर्जी से नहीं हो सकता। इसके अलावा, धारा 40 के तहत, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है, तो यह स्वत: ही वक्फ प्रोपर्टी घोषित हो जायेगी। हमने इस प्रावधान को हटा दिया है, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी था।"

उन्होंने यह कहते हुये कि वक्फ ने केरल के एक गाँव को अधिगृहीत करने की कोशिश की थी, केरल के सभी सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि केरल में, 600 ईसाई परिवार, जो सभी किसान हैं, अपनी जमीन गँवा चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल से आपका अधिकार नहीं मिलता है, तो आप "अपील के अधिकार" के तहत, अदालत में याचिका पेश कर सकते हैं।"

रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों को ऊपर उठाने वाला, अपील का अधिकार देने वाला तथा यह सुनिश्चित करने वाला है कि परिशिष्ट 5 और 6 के तहत आने वाली जमीन पर वक्फ नियमों के तहत दावा नहीं किया जा सकता।

उन्होंने पुन: जोर देकर कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद सुलझेंगे तथा जमीन-अधिकार सुरक्षित होंगे। मंत्री ने कहा कि संबंधित जेपीसी ने, अब तक बनाई गई किसी भी अन्य जेपीसी की तुलना में ज्यादा व्यापक काम किया है। उन्होंने कहा, "विभिन्न क्षेत्रों के कुल 284 संगठनों और प्रतिष्ठनों ने अपने विचार एवं सुझाव दिये थे। एक करोड़ से अधिक लोगों ने जेपीसी तथा मंत्रालय में अपनी राय दर्ज कराने के लिये ज्ञापन दिये थे।"

रिजिजू ने कहा कि "सरकार ने यह विधेयक अच्छे उद्देश्यों से पेश किया है तथा इसे "यूएमईईडी" (उमीद) नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस नाम से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।" सरकार ने इस विधेयक को नया नाम "यूनिफाइड वक्फ एम्पावरमैंट, एफिसिएन्सी एंड डवलपमैंड (यूएमईईडी) बिल" दिया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908